

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	25,411	53,226	78,637	78,009	6,31,951	7,09,960	42,688	6,36,524	6,79,212	75,616	6,93,365	7,68,981
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	25,411	13,202	38,613	78,009	13,410	91,419	42,688	13,330	56,018	75,616	15,075	90,691
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	25,369	717	26,086	75,708	-	75,708	42,687	-	42,687	75,616	-	75,616
1. विकास (क + ख)	22,043	717	22,760	67,317	-	67,317	38,263	-	38,263	70,462	-	70,462
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	7,593	-	7,593	22,520	-	22,520	8,323	-	8,323	29,760	-	29,760
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,187	-	2,187	12,083	-	12,083	2,675	-	2,675	12,645	-	12,645
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,750	-	1,750	522	-	522	35	-	35	646	-	646
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,892	-	2,892	7,026	-	7,026	4,449	-	4,449	10,051	-	10,051
5. आवास	290	-	290	474	-	474	487	-	487	531	-	531
6. शहरी विकास	-	-	-	1,796	-	1,796	-	-	-	5,000	-	5,000
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	392	-	392	458	-	458	452	-	452	421	-	421
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	42	-	42	44	-	44	143	-	143	347	-	347
9. अन्य *	40	-	40	117	-	117	82	-	82	119	-	119
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	14,450	717	15,167	44,797	-	44,797	29,940	-	29,940	40,702	-	40,702
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	753	-	753	1,105	-	1,105	1,404	-	1,404	547	-	547
i) फसल उत्पादन	14	-	14	42	-	42	341	-	341	22	-	22
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) पशुपालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) डेरी विकास	1	-	1	54	-	54	54	-	54	-	-	-
v) मत्स्यपालन	467	-	467	746	-	746	746	-	746	202	-	202
vi) वानिकी और वन्य जीवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) बागान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	265	-	265	238	-	238	238	-	238	298	-	298
xi) अन्य @	6	-	6	25	-	25	25	-	25	25	-	25
2. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,872	-	1,872	7,664	-	7,664	8,709	-	8,709	6,056	-	6,056
5. ऊर्जा	3,673	717	4,390	14,051	-	14,051	5,179	-	5,179	12,035	-	12,035
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	4,611	-	4,611	6,580	-	6,580	6,885	-	6,885	6,380	-	6,380
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	412	-	412	680	-	680	680	-	680	670	-	670
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) अन्य #	4,199	-	4,199	5,900	-	5,900	6,205	-	6,205	5,710	-	5,710
7. परिवहन (i + ii)	2,331	-	2,331	13,106	-	13,106	5,905	-	5,905	14,505	-	14,505
i) सड़क और पुल	1,940	-	1,940	12,700	-	12,700	5,433	-	5,433	13,505	-	13,505
ii) अन्य **	391	-	391	406	-	406	472	-	472	1,000	-	1,000
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
पुदुचेरी

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	1,210	-	1,210	2,291	-	2,291	1,858	-	1,858	1,179	-	1,179
i) पर्यटन	1,210	-	1,210	2,291	-	2,291	1,858	-	1,858	1,179	-	1,179
ii) अन्य @@	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	3,326	-	3,326	8,391	-	8,391	4,424	-	4,424	5,154	-	5,154
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	1,226	1,226	-	1,918	1,918	-	1,918	1,918	-	2,977	2,977
1. बाजार ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. एलआइसी से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	1,226	1,226	-	1,918	1,918	-	1,918	1,918	-	2,977	2,977
8. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	11,014	11,014	-	11,196	11,196	-	11,196	11,196	-	11,793	11,793
1. राज्य योजना स्कीम	-	5,139	5,139	-	5,234	5,234	-	5,234	5,234	-	5,468	5,468
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	-	8	8	-	8	8	-	8	8	-	9	9
4. योजनेतर (i से ii)	-	5,867	5,867	-	5,954	5,954	-	5,954	5,954	-	6,316	6,316
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	5,867	5,867	-	5,954	5,954	-	5,954	5,954	-	6,316	6,316
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	43	245	287	2,301	296	2,597	1	216	217	-	305	305
1. विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)	43	9	52	2,301	15	2,316	1	-	1	-	15	15
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	-	9	9	800	15	815	-	-	-	-	15	15
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	800	-	800	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	9	9	-	15	15	-	-	-	-	15	15
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	43	-	43	1,501	-	1,501	1	-	1	-	-	-
1. फसल उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सहकारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (समाप्त)
पुदुचेरी**

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	8	-	8	1,501	-	1,501	1	-	1	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	35	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-विकासात्मक प्रयोजन (क + ख)		236	236		281	281		216	216		290	290
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	236	236	-	281	281	-	216	216	-	290	290
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा												
VI. आकस्मिकता कोष												
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)		12,919	12,919		13,190	13,190		16,720	16,720		18,242	18,242
1. राज्य भविष्य निधि	-	12,738	12,738	-	13,000	13,000	-	16,500	16,500	-	18,000	18,000
2. अन्य	-	181	181	-	190	190	-	220	220	-	242	242
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)												
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)												
1. सिविल जमा	-	4,521	4,521	-	7,300	7,300	-	8,415	8,415	-	9,182	9,182
2. स्थानीय निधियों की जमारशियां	-	4,446	4,446	-	5,000	5,000	-	5,415	5,415	-	5,900	5,900
3. सिविल अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	720	720	-	792	792
4. अन्य	-	76	76	-	100	100	-	80	80	-	90	90
X. उचित और विविध (1 से 4)		22,584	22,584		5,98,051	5,98,051		5,98,059	5,98,059		6,50,866	6,50,866
1. उचित	-	417	417	-	470	470	-	500	500	-	550	550
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. आरबीआई के पास जमा राशियां	-	-	-	-	3,20,000	3,20,000	-	3,20,000	3,20,000	-	3,50,000	3,50,000
4. अन्य	-	22,167	22,167	-	2,77,581	2,77,581	-	2,77,559	2,77,559	-	3,00,316	3,00,316
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन												
XII. विप्रेषण												
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-11,198			-12,707			-41,212			-25,710
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			27,333			32,307			73,284			71,912
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			16,135			19,599			32,073			46,202
घ. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			16,135			19,599			32,073			46,202
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			16,135			-401			12,073			26,202
क) अथ शेष	-	-	17,726	-	-	75,239	-	-	89,424	-	-	1,09,996
ख) इति शेष	-	-	33,861	-	-	74,838	-	-	1,01,497	-	-	1,36,198
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)						20,000			20,000			20,000
iii. आरबीआई से अर्धोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)												

- : शून्य/नगण्य/उपलब्ध नहीं।

\$: मद I से IV का जोड़, जबकि मद II (3) और II (6) निकाली गई हैं, मद II (3) को पूंजीगतप्राप्ति के तहत निवल आधार पर लिया गया है, जबकि मद II (6) को कुल अधिशेष/घाटा के लिए वित्तपोषण मद के रूप में लिया गया है।

* : सूचना और प्रचार, अन्य सामाजिक सेवाओं आदि पर परिव्यय शामिल है।

@ : अन्य कृषि कार्यक्रम आदि पर परिव्यय शामिल है।

: सीमेंट और गैर धातु उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, परमाणु ऊर्जा उद्योग, अन्य उद्योग और खनिजों, आदि पर परिव्यय शामिल है।

** : भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों, भारतीय रेलवे सामरिक लाइनों, बंदरगाहों और प्रकाश घरों, नौवहन, नागर विमानन, सड़क परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, अन्य परिवहन, आदि पर परिव्यय शामिल है।

@ @ : विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं, सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश, आदि पर परिव्यय शामिल है।

परिशिष्टों की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।